न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर.

निगरानी क्र0/ /14

388

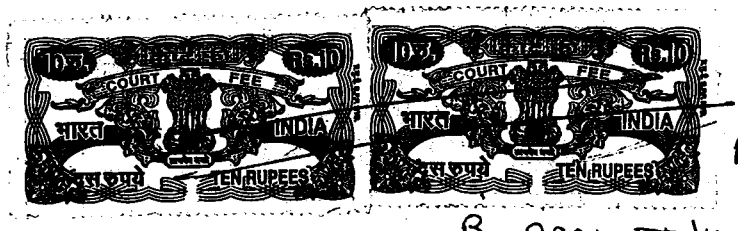

Rs. 20/-

R. 2394-III/14

01- श्रीमती रामकलीपत्नीरामकिशोर शुक्ला

02- बृजकिशोर शुक्ला]

03- श्यामकिशोर शुक्ला] तीनो केपिता रामकिशोर शुक्ला

04- कृष्णकिशोर शुक्ला]

सभी निवासीगण पाण्डेनटोला रीवा तहसील हुजूर,

जिलारीवा, म0प्र0. -----आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती मूर्तिकुमारी पत्नी कृष्ण प्रसादपाण्डेय निवासी पाण्डेन का हाता

मोहल्ला बहादुर गंज शहर इलाहाबाद.उ0प्र0. -----अनावेदक

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा ... 16.07.14 ...

क्रमांक 2358 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 25-7-14 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिलारीवा दिनांक 09.07.014 उ प्रकरण क्र0 21-अ-27/09-10 मे पारित ।

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :-

]01] अधीनस्थ न्यायालयका आदेशदिनांक 09.07.014 सर्वथा विधि विधान तथान्यायिक प्रक्रियाव सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है ।

]02] भूमि नं0 204 स्थित ग्राम पडरा के संदर्भ मे तहसीलदार तह0 हुजूर ने दिनांक 21.10.09 को आदेश पारितकरते हुए अना0 का नाम 1/2 हिस्से इन्द्राजकरने काआदेश देते हुए 204/1 व 204/2 कायम किया जबकिपहले से माननीय

निरंतर...

श्री अभि॰ श्री शिवप्रसाद द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक नि 2394/III/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-8-15	प्रकरण में आवेदक अभि॰ उपस्थित। आवेदक के अभिभाषक को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभि॰ द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि विवादित भूमि के संबंध में मामला उच्च न्याया॰ में लंबित था इसी बीच तहसीलदार हुजूर के आदेश दिनांक 21-10-09 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील नामक प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर अनु॰ विभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 12-5-11 से विवादित भूमि के विक्रय पर रोक लगाये जाने का आदेश दिया गया। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 12-5-11 को अनु॰ अधि॰ द्वारा, अनावेदक की ओर से स्थगन निरस्त करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने पर, उसे स्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 9-7-14 से निरस्त किया गया, जिसमें म॰प्र॰ भू-राजस्व संहिता की धारा 52 में वर्ष 2011 में हुए संशोधन को आधार माना गया है जो उचित नहीं है। संहिता की धारा 52 में जो संशोधन हुआ है वह माह दिसम्बर 2011 से प्रभावी है, उससे पहले के प्रकरणों में संशोधन का कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा उसके संलग्न अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9-7-2014 की प्रमाणित प्रति का भी अवलोकन किया गया। आवेदक का यह तथ्य स्वीकार योग्य है कि स्थगन के संबंध में म॰प्र॰ भू-राजस्व संहिता की धारा 52 में संशोधन दिसम्बर 2011 से प्रभावी	

(61)

R.2394/III/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31/8/15	हुआ है। दिसम्बर 2011 से पूर्व में हुए आदेशों पर संहिता का संशोधन प्रभावी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में 2011 के संशोधन के प्रकाश में दिनांक 9.7.14 को जारी आदेश औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अधिकारी का आदेश दिनांक 9.7.14 विधि अनुकूल न होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है, कि विवादित संपत्ति के संबंध में मौके पर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में स्थगन सहित अन्य विद्यमान पहलुओं पर विचार किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर प्रकरण का विधि अनुकूल संहिता में निहित प्रावधानों के प्रकाश में निराकरण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	